29/7/25 आज यह पत्रावली पेश हुयी।
वकील वादी उप०। वकील प्रतिवादी उप०।
पत्रावली का अध्ययन किया गया।
बहस पर मनन किया गया। वादी का
वाद-पत्र डिक्री किया जाता है। किन्तु
निर्णय अलग से लिखे जाकर आज
मि० किया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद
पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़) राज०

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–a (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न. :– 21 / 2020
दायर दिनांक :– 09.01.2020
निर्णय दिनांक :– 29/7/25

उनवान

1. छाजूराम पुत्र कबूल जाति अहीर ग्राम जयसिंहपुरा / मांचल तहसील बहरोड़। ......मृतक
1/1. किरोश्ता पुत्री छाजूराम जाति अहीर
1/2. शारदा पुत्री छाजूराम जाति अहीर .
1/3 सुमन पुत्री छाजूराम जाति अहीर .
1/4 राधा पुत्र छाजूराम जाति अहीर,

1/5 मनीषा पुत्री छाजूराम जाति अहीर,
1/6 अमरपाल पुत्र छाजूराम जाति अहीर ग्राम जयसिंहपुरा / मांचल तहसील बहरोड़।..**वादी**

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्रीराम
2. मूर्ति बेवा पत्नी श्रीराम – **फोत**

2/1 लीलावती पुत्री जगदीश जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़।
2/2 कलावती पुत्री श्रीराम जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़।
2/3 छोटा पुत्री श्रीराम जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़।
2/4 कृष्णा पुत्री श्रीराम जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़।

3. बाबूलाल पुत्र जगदीश
4. सत्यपाल पुत्र जगदीश
5. औमप्रकाश पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा / मांचल तहसील बहरोड़।
6. तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर बहरोड़।
7. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश कोटपूतली–बहरोड़।
8. सब रजिस्ट्रार साहब बहरोड़ तहसील बहरोड़। ....**असल प्रतिवादीगण**
9. लालाराम पुत्र कबूल
10. रतना देवी पत्नि धर्मवीर
11. बाला देवी पुत्री धर्मवीर
12. जागृती देवी पुत्री धर्मवीर जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा / मांचल तहसील बहरोड।
13. कृष्ण पुत्र धर्मवीर जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़ .....**फोरमल प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी।

उपस्थित :– श्रीमती प्रमिला यादव अधिवक्ता वादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जिसके विगत बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बर 48 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कायम हुए थे तथा जिसके हाल बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 79 रकबा 44 ऐयर कायम हुए है वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील बहरोड़ में स्थित है जो आराजी इस वाद मे विवादित है जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। वादी व असल प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 12 एक ही परिवार के सदस्य है, जिस प्ररिवार के मुख्यिा डूंगाराम थो जिनका देहान्त हो चुका है, यहकि उपरोक्त सजरा से बखूबी जाहिर है कि वादी, प्रतिवादी संख्या–1 लगायत व तरतीबी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त पक्षकारान के पूर्वज स्व० श्री डूंगाराम ने अपने जीवनकाल मे विवादित आराजी जिसके पूर्व

पीठासीन अधिकारी
(फास्ट ट्रेक) बहरोड़

में साबिक खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा था को डूंगाराम नेखतेदार नारायणसिंह पुत्र चोधरी जोरावारसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17–11–58 के खरीद की थी, कालान्तर में डूंगाराम का देहान्त हो जाने के कारण उक्त आराजी उनके पुत्रान श्रीराम व कबूल के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई, तथा बाद में श्रीराम व कबूल का भी देहान्त हो गया। जिनके वादी, असल प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण मालिक काबिज जायदाद है। वादी विवादित आराजी को अपने हक हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी काबिज है, विवादित आराजी में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 का 1/2 भाग है जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को कभी बेदखल नही किया गया है बल्कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण लगातार काबिज होकर शान्तीपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। असल प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 षडयन्त्रकारी व लडाकू प्रवृति के व्यक्ति है जो हमेशा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश में रहे हैं खिलाफ कानून अपने प्रभाव व ताकत का इस्तेमाल कर रेवेन्यू कर्मचारीयो के साथ उक्त आराजी को अपने नाम से दर्ज रिकार्ड करा लिया, जिसका असल प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 5 को काई अधिकार नही था ना है। उक्त गलत इन्द्राज की पूर्व में जानकारी नही रही है, बल्कि असल प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 5 ने उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को मोका पर माह जून 2013 में आकर कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की तथा उन्होने यह जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी को अब उन्होने अपने नाम से दर्ज रिकार्ड करा लिया, इसलिये अब हम आपको इस आराजी पर काश्त नही करने देगें। जिस पर मोजिज व्यक्तियों की मदद से बमुश्किल घटना को टाला गया। तत्पश्चात वादी ने तुरन्त नकल हेतु आवेदन किया व राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तो समस्त तथ्यों की जानकारी हुई। विवादित आराजी पर मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीण 1/2 हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है तथा जिनका विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है, लेकिन असल प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 अनुचित, गलत व विधि विरूद्ध रूप से मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हक हिस्से की आराजी से वंचित करना चाहते है, इसलिये वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी के स्वयं को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। जिस हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। असल प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 खतरानाक प्रवृति के मुहजोर व प्रभावशाली व्यक्ति है जो मौका पर नाजायज कब्जा कर अनुचित फायदा उठाने को उतारू हो रहे है। इस क्रम में असल प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 दिनांक 5–7–2013 को एक राय होकर विवादित आराजी पर आये तथा वादी को कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की व जबरन बेदखल करने की कोशिश की धमकी दी और असल प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 ने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने से भी इन्कार कर दिया । यदि असल प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 अपने नापाक कृत्य में सफल हो गये तो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को ऐसा भारी नुकसान कारित होगा, जिसकी क्षतिपूर्ती किसी प्रकार से नही हो सकेगी तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के अधिकार बाबत आराजी खतरे में पड जायेगें। इसलिये वादी असल प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 को पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वे विवादित आराजी से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा नही करे तथा कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करे, विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बय हिबा या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल फकफूल नही करे ना ही कोई दस्तावेज मुन्तकिली निष्पादित करे व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखे व बेजा हरकत करने से बाज आवे तथा प्रतिवादी संख्या–8 को भी पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी के सम्बन्ध में ऐसा कोई मुन्तकिली दस्तावेज पेश होने की सूरत में उसका पंजीयन नही करे। जिस हेतु भी यह वाद दायर किया जा रहा है। यहकि डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी की सादिर की जाकर असल प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 को पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 44 ऐयर कायम हुए है वाकै ग्राम जयसिंहपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा नही करे तथा कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करे, विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बय हिबा या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल फकफूल नही करे ना ही कोई दस्तावेज मुन्तकिली निष्पादित करे व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखे व बेजा हरकत करने से बाज आवे तथा प्रतिवादी संख्या–8 को भी पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी के सम्बन्ध में ऐसा कोई मुन्तकिली दस्तावेज पेश होने की सूरत में उसका पंजीयन नही करे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड) राज०

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन तलवाना तलब किया गया। प्रतिवादीगण जानबुझकर अनुपसिथत रहे। प्रतिवादीगण के विरूध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल बयनाम दिनांक 17.11.1958 प्रदर्श–01, नकल नामान्तकरण दिनांक 12.09.61 व खसरा गिरदावरी संवत 2069 प्रदर्श–02, नकल जमाबन्दी संवत 2012 प्रदर्श–03, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 प्रदर्श–2020, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श–05, नकल जमाबन्दी संवत 2031 प्रदर्श–06, नकल जमाबन्दी संवत 2036 प्रदर्श–07, नकल जमाबन्दी संवत 2060 से 2071 प्रदर्श–08 व शपथ पत्र अमरपाल पुत्र छाजूराम यादव अहीर का पेश किया है।

हमने वादी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन तथा गहन अध्ययन किया गया। आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील बहरोड को दिनांक 17.11.1958 को नारायण सिंह पि. जोरावर सिंह यादव बहरोड ने श्रीराम कबूलचन्द पि. डूंगाराम अहीर निवासी मॉचल को रूप्ये 2500/–रूपये में विक्रय किया था। जिसके बाबत नामान्तकरण दर्ज कर नारायणसिंह के बजाय श्रीराम ,कबूलचन्द पि० डूंगाराम अहीर साकिन मॉचल के नाम दिनांक 06/07/1961 को दर्ज कर दिनांक 12.08.1961 को स्वीकार किया है। जो प्रदर्श 02 से स्पष्ट है। जो जमाबन्दी संवत 2019 प्रदर्श–3 में श्रीराम, कबलू पि० डूंगरसिंह सम्भाग मॉचल के नाम अमल दरामद किया गया है। संवत 2020 में उपरोक्त विवादित आराजी के हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा बनाकर श्रीराम पुत्र डूंगाराम जाति अहीर दर्ज कर दिया जो प्रदर्श–06 जमाबन्दी संवत 2031 से स्पष्ट है। संवत 2042 में उक्त विवादित आराजी के हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 0.44 हैक्टैयर ग्राम जयसिंहपुरा कायम होकर जमाबन्दी संवत 2074 से 2071 प्रदर्श–08 में मूर्ति बेवा श्रीराम हिस्सा 1/6, कैलाश पुत्र श्रीराम 5/12, बाबूलाल ओमप्रकाश सत्यपाल पि० जगदीश हिस्सा 7/20, रेवती पत्नि जगदीश हिस्सा 1/30, लीलावती पत्नि जगदीश हिस्सा 1/30 कौम अहीर साकिन मॉचल रहीन रेवती बाबूलाल औमप्रकाश व सत्यपाल पी.एन.बी मुर्तहन शाखा बहरोड दर्ज है। इस प्रकार से विवादित आराजी के दिनांक 17.11.1958 के 1/2 हिस्से के खरीददार जोरावर का नाम मस्कूत/दर्ज होने से रह गया है। प्रतिवादीगण ने बाद सूचना इस कार्यालय में उपस्थित नही आये। जिससे उनका उक्त विवादित आराजी के 1/2 भाग में कोई रूचि नही होना प्रकृट करता है।जिस सूरत में वादीगण का वाद पत्र पूर्णतया सिद्व पाया जाता है।

–:आदेश :–

वादी का वाद पत्र पत्र डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 0.44 हैक्टैयर ग्राम जयसिंहपुरा तहसील बहरोड़ के 1/2 भाग से हाल इन्द्राज को कलमजन कर वादी व तरतीबी प्रतिवादी वादी को बहिस्से बराबर अर्थात 1/2 भाग का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से राजस्व रिकोर्ड को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 29/7/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
उपखण्ड अधिकारी
(कोटपूतली-बहरोड़) जिला-बहरोड)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
बहरोड़

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व वाद नं. :– 21/2020
दायर दिनांक :– 09.01.2020
निर्णय दिनांक :– 29/7/25

उनवान

1. छाजूराम पुत्र कबूल जाति अहीर ग्राम जयसिंहपुरा/मांचल तहसील बहरोड़। ....मृतक
1/1. किरोश्ता पुत्री छाजूराम जाति अहीर
1/2. शारदा पुत्री छाजूराम जाति अहीर ,
1/3 सुमन पुत्री छाजूराम जाति अहीर ,
1/4 राधा पुत्र छाजूराम जाति अहीर,
1/5 मनीषा पुत्री छाजूराम जाति अहीर,
1/6 अमरपाल पुत्र छाजूराम जाति अहीर ग्राम जयसिंहपुरा/मांचल तहसील बहरोड़। .वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्रीराम
2. मूर्ति बेवा पत्नी श्रीराम – फोत
2/1 लीलावती पुत्री जगदीश जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़।
2/2 कलावती पुत्री श्रीराम जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़।
2/3 छोटा पुत्री श्रीराम जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़।
2/4 कृष्णा पुत्री श्रीराम जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़।
3. बाबूलाल पुत्र जगदीश
4. सत्यपाल पुत्र जगदीश
5. औमप्रकाश पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा/मांचल तहसील बहरोड़।
6. तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर बहरोड़।
7. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश कोटपूतली–बहरोड़।
8. सबरजिस्ट्रार साहब बहरोड़ तहसील बहरोड़। ....असल प्रतिवादीगण
9. लालाराम पुत्र कबूल
10. रतना देवी पत्नि धर्मवीर
11. बाला देवी पुत्री धर्मवीर
12. जागृती देवी पुत्री धर्मवीर जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा/मूचल तहसील बहरोड।
13. कृष्ण पुत्र धर्मवीर जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़। ..फोरमल प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी।

उपस्थित :– श्रीमती प्रमिला यादव अधिवक्ता वादीगण।

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद पत्र पत्र डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 0.44 हैक्टैयर ग्राम जयसिंहपुरा तहसील बहरोड़ के 1/2 भाग से हाल इन्द्राज को कलमजन कर वादी व तरतीबी प्रतिवादी वादी को बहिस्से बराबर अर्थात 1/2 भाग का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से राजस्व रिकोर्ड को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 29/7/25 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(रामकिशोर मीना–II)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)